

निर्णय व इजाजत अन्तर सिंह चेतन आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 242/2021 (धारा 14 सेक्युरिटीकरण)

आवास फाईनेन्सर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर  
साउथवेस्ट स्ववायर, मानसरोवर इण्डियन प्रिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती स्वाति कंवर पत्नी श्री पुरण शिखर  
पता :- 51, ब्रज मण्डल कालोनी, 100 फिट रोड, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।  
एवं 23, राजपुतो का मोहल्ला, प्रताप नगर, फुलेरा, जयपुर।  
एवं फ्लेट नम्बर ई-11/TF/13 (EWS) भैरव टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड, जेन 12ए, जयपुर।
2. श्री पुरण सिंह पुत्र श्री शिखर सिंह  
पता :- प्रतापपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर।
3. श्री बाबू सिंह पुत्र श्री प्रीमात सिंह  
पता :- 51, ब्रज मण्डल कालोनी, 100 फिट रोड, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपरिस्थित श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक: 02.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती स्वाति कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर ई-11/TF/13 (EWS) भैरव टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड, जेन 12ए, जयपुर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 325 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 2,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.07.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि पर व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थी

स्ट्रेट  
जयपुर

- पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आसपास पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। साथ हीत में अप्रार्थी श्रमिकों को सुझाव पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
  3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिकारता को गौर से मुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का नवीनगीत अवलोकन किया गया।
  4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में प्रिन्ट मंत्रालय की अधिनियम नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 6 पर सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
  5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक न अप्रार्थीगणों को कुल राशि 2.25 करोड़/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण न उपलब्ध वर्गित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास नियत रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन में ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि न्य ब्याज कुल राशि 1,78,21,840/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण का दिनांक 21.07.2021 को अधिनियम की धारा 14 (2) के अर्जिन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का मुआवजा भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पास में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिहाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
  6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्ररत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सभी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती स्वाति कौर के स्वामित्व की सम्पत्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (EWS) भैरव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, जोन 12ए, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान राज्य में स्थित का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा सारेये सम्बन्धित पुलिस थान सप्त कोर्ट जमान के आदेश दिये जाते हैं।
  7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपनिष्ठा जयपुर शहर/ पुलिस अधीक्षक जयपुर सम्बन्धित को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहायता कर वित्तीय संस्था को दिहाने हेतु संबंधित धाराधिकारी को निर्देशित कर दस सख्त दिनांक में दिहाये जावे पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी करे। सम्बन्धी नमूने के एक प्रतिलिपि प्रेषित की।



  
 (अधीक्षक पुलिस जयपुर)  
 जयपुर जिला न्यायालय  
 जयपुर